

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गृप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (121)एम.ई./गुप-1/1991 पार्ट

जयपुर, दिनांक 10/8/17

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक 1 (121)एम.ई./गुप-1/1991 पार्ट दिनांक 26.07.2017 द्वारा नवनियुक्त सहायक आचार्य, निश्चेतन को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम में अंकित अवधि तक कार्यग्रहण काल में अवधि में वृद्धि की जाती है :-

| क्र.सं. | अभ्यर्थी का नाम व पदस्थापन स्थान | मेरिट संख्या | अभिवृद्धि हेतु समय |
|---------|--|--------------|--------------------|
| 1. | डॉ० मोनिका गुप्ता, सहायक आचार्य, निश्चेतन, मेडिकल कॉलेज, कोटा। | एम-05 | 26.08.2017 |

उक्त चिकित्सक की कार्यग्रहण अवधि वृद्धि के समाप्ति पर पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
5. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव